

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

RIT/Speed post



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/40/2016-17

28 जून, 2016

सेवा में,

डॉ. अंजली पोखरियाल,
सहायक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज
एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
कारपोरेट मंत्रालय,
आई.एफ.सी. टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री सुरेश शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल क्राईम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो जिला न्यायालय के सामने, लखनऊ रोड, गोण्डा, उत्तर प्रदेश का 16.06.2016 का पत्र इस सचिवालय में 22.06.2016 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने दस रूपये का पो.आ. संख्या 36F 371350 संलग्न कर अपने दिनांक 04.05.2016 के आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है, चूंकि इनके पत्र की विषय वस्तु कारपोरेट मंत्रालय से संबंधित है, अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जो इस विषय के निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
mahitab.singh@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री सुरेश शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल क्राईम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो जिला न्यायालय के सामने, लखनऊ रोड, गोण्डा, उत्तर प्रदेश -कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

o/c

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
mahitab.singh@nic.in



NATIONAL CRIME INVESTIGATION BUREAU

(Registered Under Indian Trust Act. 1882)

H.O. : Opp. Civil Court, Main Lucknow Road, Gonda (U.P.) India - 271001

Helpline : +91-8795-111-000, +91-9839229311, +91-9621030720

Email : info@ncib.in, Website : www.ncib.in

Ref. RII/0070/2016



Date: 16/6/2016

सेवा में,
श्रीमान जनसूचना अधिकारी
उप राष्ट्रपति कार्यालय
राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली - 110001

विषय : जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी हेतु :-

मान्यवर,

सादर अवगत कराना है कि संस्था नेशनल कार्डम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो द्वारा पत्रांक संख्या 0066/2016 दिनांक 04/05/2016 को भारतीय डाक क्रमांक **RU318671720IN** द्वारा नेशनल कार्डम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो को "भारतीय कम्पनी अधिनियम" 1956 (नया 2013) की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत करने हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र मो 0 हामिद अंसारी उप राष्ट्रपति, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था।

उक्त सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएँ वांछित हैं।

1. संस्था नेशनल कार्डम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो द्वारा दिनांक 04/05/2016 को भेजा गया प्रार्थना पत्र आपके कार्यालय में प्राप्त हुआ अथवा नहीं ?
2. अगर प्रार्थना पत्र आपको प्राप्त हुआ तो आपके स्तर से क्या कार्यवाही की गयी ?
3. क्या आपके स्तर से संस्था को भारतीय कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत करने हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया अथवा नहीं ?
4. आपके स्तर से की गई कार्यवाही की सत्यापित छायाप्रति एवं दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

सलग्नक :-

1. दिनांक 04/05/2016 को नेशनल कार्डम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो के द्वारा भेजी गयी शिकायती पत्र के छायाप्रति
2. नियमानुसार 10 रुपये का भारतीय पोस्टल आर्डर सं 36F 371350



सुरेश शुक्ला
राष्ट्रीय अध्यक्ष
नेशनल कार्डम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो
जिला न्यायालय के सामने, लखनऊ रोड, गोण्डा (ऊ0प्र0) 271001
मोबाईल : 09792580000



NATIONAL CRIME INVESTIGATION BUREAU

(Registered Under Indian Trust Act 1882)

H.O. : Opp. Civil Court, Main Lucknow Road, Gonda (U.P.) India - 271001

Help Line : +91-8795-111-000, +91-9839229311, +91-9621030720

Email : info@ncib.in, Website : www.ncib.in

Ref. 327/4/2012

Date 4/5/12

सेवा में,
मो० हामिद अंसारी जी
महामहिम उप राष्ट्रपति, महोदय
राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली - 110001

विषय: संस्था नेशनल कार्ईम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो को भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत करने हेतु :

मान्यवर,
सादर अवगत कराना है कि संस्था नेशनल कार्ईम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत एक गैर सरकारी संगठन है। इसका पंजीकरण क्रमांक 327/4/2012 एवं कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत हैं।

संस्था का मुख्य कार्य अपराध/अपराधियों की सूचना शासन/ प्रशासन को उपलब्ध कराना, मानव अधिकार हनन की रोकथाम करना एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों जैसे अवैध हथियार, नकली नोट, स्मगलिंग एवं मानव तस्करी की सूचना सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराकर अपराध पर अंकुश लगाना है।

संस्था पिछले 5 सालों से निःस्वार्थ भाव से देश एवं समाज हित में कार्य कर रही है एवं बेहतर पारदर्शिता के लिए अपना पंजीकरण भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत कराना चाहती है।

अतः श्रीमान जी से सादर प्रार्थना है कि संस्था नेशनल कार्ईम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो को भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु सम्बन्धि विभाग को निर्देशित करके एक प्रति संस्था मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आप की महान कृपा होगी।



सुरेश शुक्ला
राष्ट्रीय अध्यक्ष
नेशनल कार्ईम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो
जिला न्यायलय के सामने, लखनऊ रोड, गोण्डा (उ०प्र०) 271001
मोबाईल : 0979258000

